न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भदोही–ज्ञानपुर।

मु०न०– 15246 / 2022 ई०

सरकार––––––––– बनाम ––––––––––––विष्णु मिश्रा।

सत्र सुपुर्दगी आदेश

1. पुलिस थाना औराी जिला भदोही द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–230 सन् 2022 ई० पर विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण विष्णु मिश्रा व विजय मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3,7/25,29(B) आर्म्स एक्ट भा०दं०सं० न्यायालय में विचारणार्थ प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्तगण के अधिवक्ता को धारा –207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदत्त की जा चुकी है।

3. अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध अनन्यत: सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अत: प्रस्तुत दाण्डिक वाद सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

4. अभियुक्तगण जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्तगण विष्णु मिश्रा व विजय मिश्रा जेल में निरुद्ध हैं।

5. उपार्पण की सूचना विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), ज्ञानपुर भदोही को दी जाये। लिपिक सत्र सुपुर्दगी कैलेण्डर पत्रावली व अन्य अभिलेख अविलम्ब तैयार करके सत्र न्यायालय को प्राप्त करायें। माल मुकदमा यदि कोई हो, सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो।

6. अभियुक्तगण को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे दिनांक –08.08.2023 ई० पूर्वाह्न 10.00 बजे सत्र न्यायालय ज्ञानपुर भदोही के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांक–31.07.2023

साधना गिरि
न्यायालय सिविल जज(सी०डि०)/
एम०पी०एम०एल०ए० न्यायालय
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Sadhana Giri
Date: 2023.08.03 11:35:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court